तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्रीमती ज्योति पारीक एवं श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्तागण, अपीलार्थीगण श्रीमती पूनम माथुर, अति राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सरकार श्री सी.पी. शर्मा एवं सुश्री कमलेश चौहान, अधिवक्तागण शेष प्रत्यर्थीगण **<u>निर्णय</u>** **दिनांक 23.09.2020** अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा 23 राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कलक्टर, जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-09-1984 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थीगण की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 07-07-1972 से ग्राम सेहवाज के खसरा नम्बर 273 की 73बीघा भूमि को अन्य आराजी के साथ अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्तागण अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिलाधीश द्वारा धारा 19 व 21 की पालना किये बिना एवं ऑपशन दिये बिना ही सीलिंग एरिया निर्धारित नहीं कर दिनांक 20-09-1984 को एकतरफा में निर्णय पारित करते हुए ग्राम सेवाज की खसरा नम्बर 273 रकबा 71बीघा 04बिस्वा एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 87बीघा 05बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिये। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 272 एवं 273 की 158बीघा भूमि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 07-07-1972 को रजिस्टर्ड बैचानपत्र से खरीद की गयी है, उक्त बैचानपत्र के आधार पर अपीलार्थीगण उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर निरन्तर बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उनका कथन है कि जिलाधीश द्वारा अधिग्रहण योग्य भूमि की उपलब्धता एवं प्रश्नगत आराजी के हस्तान्तरण बाबत् कोई जांच तहसील से कराये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा उक्त निर्णय से एसेसी के कब्जे में उक्त भूमि होने बाबत् जांच नहीं की गयी। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 273 की उक्त भूमि भारयुक्त होने से अधिग्रहण योग्य ऑपशन में नहीं दी जा सकती तथा धारा 30 ई के तहत भी अधिग्रहण नहीं की जा सकती है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण सद्भाविक क्रेता होकर निरन्तर उक्त आराजी पर खरीद की दिनांक से काबिज काश्त होकर राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज चले आ रहे है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उनके पक्षकार की ओर से खरीदी गयी आराजी खसरा नम्बर 272 एवं 273 की हद तक पारित अधिग्रहण के आदेश को निरस्त किया जाकर उक्त आराजी को अधिग्रहण से मुक्त करने के आदेश पारित किये जावे। योग्य अधिवक्तागण अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2002 डीएनजे राज. पेज 865, 1982 आरएलडब्ल्यू पेज 663, 1980 आरआरडी पेज 93, 1991 आरएलडब्ल्यू II पेज 151, 1999 आरआरडी पेज 01,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2004 आरबीजे पेज 694, 1995 आरएलडब्ल्यू I पेज 555, 2003 आरएल आर I पेज 241, 1992 डब्ल्यूएलसी II पेज 256, 2008 आरआरडी पेज 201, 2010 आरआरडी पेज 295 एवं 2014 आरआरडी II पेज 836 आदि पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिओपन आदेश की पालना में नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर एसेसी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तत्पश्चात् उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम मेडा उपरला एवं ग्राम सेवाज की 238-90 स्टैण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण की ओर से अपील पत्रावली में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अथवा राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एसेसी के वारिसान का ग्राम मेडा उपरला की 415बीघा जिसके 30 स्टैण्डर्ड एकड होते है, उस पर सीलिंग कार्यवाही चलने के दौरान से आज तक उनका कब्जा चला आ रहा है किन्तु अधिग्रहण आदेश अनुसार उसे ग्राम मेडा उपरला के स्थान पर ग्राम सेवाज की भूमि प्रदान की गयी है, जिसको वह विकल्प में नहीं चाहता है। अतः उसे ग्राम सेवाज की प्रदत्त भूमि के एवज में ग्राम मेडा उपरला की 30 स्टैण्डर्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकड भूमि जिस पर उसका वर्ष 1975 से कब्जा काश्त है, प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय तथा योग्य अधिवक्तागण अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं उसके समर्थन में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि असेसी जीवराजसिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही वर्ष 1971 में प्रारम्भ की गयी थी तथा निर्णय दिनांक20-10-1975 से अधिग्रहण आदेश पारित किया। तत्पश्चात् नये अधिनियम के अन्तर्गत सीलिंग कार्यवाही रिओपन कर निर्णय दिनांक 20-09-1984 को पुनः अधिग्रहण आदेश पारित किया गया। यद्यपि सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत किसी क्रेता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप अपीलार्थीगण के तर्क पर मनन किया गया। वर्ष 1971 से सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् लगभग 13 वर्ष तक वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रकट हो कि अधिग्रहण आदेश जारी किये जाते समय सीलिंग कार्यवाही की लिप्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि पर उसका कोई अधिकार रहा हो। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मण्डल में अपील प्रस्तुत किये जाते समय भी अपीलार्थी द्वारा ना तो विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति ना ही ऐसा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे खातेदार की हैसियत से भूमि पर काबिज होना माना जा सके। मात्र अपील में किये गये कथन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अधिग्रहण आदेश जारी करते समय अपीलार्थीगण भूमि का खातेदार अंकित था ओर उसे पक्षकार बनाये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण में अन्तिम बहस सुनने के पश्चात् विक्रयपत्र की अप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह इस विक्रयपत्र के आधार पर भूमि का खातेदार अंकित हो चुका था। सीलिंग प्रकरण में विभिन्न दिनांकों पर असेसी की भूमि का जो विवरण तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई भी भूमि किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी में अंकित किये जाने का उल्लेख नहीं है। चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा 13वर्ष तक अपने पक्ष में किये गये विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः इस विलम्ब के पश्चात् उसके इस कथन मात्र पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्ध अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत नहीं माना जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप केतागण की अपील के माध्यम से किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि एसेसी के वारिसान का ग्राम मेडा उपरला की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	415बीघा जिसके 30 स्टैण्डर्ड एकड होते है, उस पर सीलिंग कार्यवाही चलने के दौरान से आज तक उनका कब्जा चला आ रहा है किन्तु अधिग्रहण आदेश अनुसार उसे ग्राम मेडा उपरला के स्थान पर ग्राम सेवाज की भूमि प्रदान की गयी है, जिसको वह विकल्प में नहीं चाहता है। अतः उसे ग्राम सेवाज की प्रदत्त भूमि के एवज में ग्राम मेडा उपरला की 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि जिस पर उसका वर्ष 1975 से कब्जा काश्त है, प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय असेसी के वारिसान की अनुपस्थिति में पारित किया गया था। इसी कारण इस आदेश के अन्तर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। निर्णय दिनांक 20-10-1975 के अवलोकन से स्पष्ट है कि असेसी के खाते में ग्राम मेडा उपरला की 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलाधीन निर्णय से असेसी को ग्राम सेवाज की भूमि में से 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि रखने का अधिकारी माना गया है। चूंकि प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहित भूमि बाबत् सहमत है किन्तु उनके द्वारा ग्राम मेडा उपरला स्थित आराजी में से ही 30स्टैण्डर्ड एकड भूमि प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है, जो उन्हें विकल्प का अवसर प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय दिनांक 20-10-1975 में ग्राम मेडा उपरला की कुल 2402/3बीघा थी, जिसमें से 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि करीब 415बीघा भूमि असेसी के वारिसान प्रत्यर्थीगण को प्रदान की गयी एवं 2005बीघा 11बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायहित में प्रत्यर्थीगण संख्या-2 से 5 एसेसी के वारिसान को अपीलाधीन निर्णय से 30स्टैण्डर्ड एकड भूमि जो 415बीघा के बराबर है, ग्राम सेवाज के एवज में ग्राम मेडा उपरला में प्रदान की जावे, जिसके बाबत् प्रत्यर्थीगण को उक्त भूमि में से विकल्प देने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार एक माह में प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जावें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/11396/2002/पाली जुगराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए